पूर्व मध्य रेल
संयुक्त कार्य आदेश

**विषयः– लुढ़कने से रोकने के लिए वाहनों /इंजन/लोड को स्टेशन पर एवं ब्लाक खण्ड में संरक्षित करना।**
**(दिनांक 23.03.2021 को जारी JPO No. ECR/ELE/OP/344 का हिन्दी रूपान्तरण)**

**संदर्भः**–(1) कार्यकारी निदेशक/विद्युत इंजी(आर एस)रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2017/विद्युत(टीआरएस)/113/संरक्षा अन्य, दिनांक 13.11.2017
(2) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2007/विद्युत (टीआरएस)/113/7, दिनांक 19.01.2012
(3) रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2012/संरक्षा(ए एण्ड आर)/19/1, दिनांक 24.02.2012
(4) इस कार्यालय का पत्र संख्या ईसीआर/विद्युत/ओ0पी0/331, दिनांक 30.11.2017
(5) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/विद्युत(टीआरएस)/113/संरक्षा अन्य दिनांक 18.03.2021

.....

हाल ही मे पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के टनकपुर स्टेशन के होम सिगनल के पास दिनांक 17.03.2021 को गाड़ी संख्या 05326 (पूर्णागिरी–टनकपुर) जनशताब्दी स्पेशल, जो यात्रियों से भरी हुई थी, लुढ़क गई । ऐसी घटना से संरक्षा की खराब स्थिति को परिलक्षित करता है । यह इंगित करता है कि सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा मौजूदा निर्देशों/प्रकिया का सही से पालन नहीं किया गया। मंडलों को उपर्युक्त संदर्भित पत्र संख्या 4 के द्वारा रनिंग कर्मचारियों/स्टेशन स्टाफ को काउंसिल करने के लिए निर्देश दिया जा चुका है।

स्टेशन /यार्ड एवं ब्लाक खण्ड में वाहन/लोड/गाड़ी/इंजनों को सुरक्षित करने के लिए ली जाने वाली सावधानियॉ भी रेलवे बोर्ड द्वारा संदर्भित पत्र संख्या 1,2,3 एवं 5 के द्वारा जारी कर वितरित की गई है जिसे नीचे पुनरावृत किया जा रहा हैः–

**(1) इंजन से जोड़ने/काटने के समय कोचिंग रेक को लूढ़कने से रोकने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अवश्य पालन करनाः–**

(क) जब कभी कोई गाड़ी रोड साइड स्टेशन/बीच सेक्शन में खड़ी हो जाती है एवं इंजन को वाहन के साथ या बिना वाहन के शेष गाड़ी से काटना जरूरी होता है, तब इंजन को काटने से पहले लोको पायलट सुनिश्चित करेगा कि ए–9 का प्रयोग करते हुए गाड़ी का ब्रेक लगा दिया गया है। केवल इंजन को जोड़ने के पश्चात् एवं पूरी गाड़ी में हवा का दबाव सुनिश्चित करने के बाद ही उपलब्ध क्रू/शंटिंग स्टाफ/स्टेशन स्टाफ द्वारा ब्रेक को रिलिज किया जाएगा।
(ख) इंजन से गाड़ी के काटने से पहल गार्ड स्वयं यह सुनिश्चित कर लेगा कि यान/एसएलआर का ब्रेक सुरक्षित ढंग से लगा दिया गया है एवं उन सारे उपायों का पालन करेगा जो विशेष निर्देशों द्वारा निर्धारित की गई है । गाड़ी को चलाने से पहले गार्ड, ब्रेकवान का ब्रेक रिलिज कर लेगा।
(ग) जब कभी गाड़ी नामित समाडि बिन्दु पर खड़ी की गयी है और इंजन को वाहन के साथ या बिना वाहन के शेष गाड़ी से काटना जरूरी है तब दो आगे के एवं दो पीछे के वाहन को समाडि स्टाफ द्वारा नया इंजन के जुड़ जाने के बाद ही रिलिज किया जाएगा।

**(2) लोको छोड़ने से पहले , लोको पायलट/सहायक लोको पायलट का कर्तव्यः-** लोड/ट्रेन के साथ लोकोमोटिव जुड़े हुए स्थिति में स्टेबल करने या चालू इंजन बंद करने या स्टेबल किए जाने पर –

(क) आपात काल में ए–9 एवं एसए–9 ब्रेको को लगाना
(ख) हैंड ब्रेक एवं पार्किंग ब्रेक लगाना
(ग) लोकोमोटिव में मौजूद चार लकड़ी के गुटके द्वारा लोकोमोटिव को सुरक्षित करना।
(घ) इंजन में आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित चार लकड़ी का गुटका का होना सुनिश्चित करना ।
(ड़) लोकोमोटिव का चार्ज लेते समय हैण्ड ब्रेक एवं पार्किंग ब्रेक का कार्यरत अवस्था में होना सुनिश्चित करना ।
(च) अगर गाड़ी में बैंकर लगा हो तो लोकोमोटिव का स्वतंत्र ब्रेक भी बैकिंग लोकोमोटिव में लगाना ।
(छ) ड्यूटी के दौरान लोको पायलट, लोकोमोटिव को मानवरहित नहीं छोड़ेगा । यदि इंजन को छोड़ना जरूरी हो तो वह ऐसा केवल स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर के लिखित प्राधिकार एवं उपरोक्त 1 (क, ख एवं ग) को सुनिश्चित करते हुए करेगा।
(ज) स्टेशन /यार्ड को छोड़ने से पहले लोको पायलट एवं गार्ड स्टेशन मास्टर के पास मेन्टेन किए जाने वाले रजिस्टर में लोड एवं लोकोमोटिव को उपरोक्त वर्णित अनुसार सुरक्षित कर दिया गया है के संबंध में संयुक्त रूप से दर्ज करेंगे एवं स्टेशन मास्टर खण्ड नियंत्रक को प्राइवेट नं0 के साथ सूचित करेगा।

PCEE

(झ) 30 मिनट से ज्यादा विलम्बन की स्थिति में गाड़ी को लुढ़कने से बचाने के लिए गार्ड ब्रेक लगाने के साथ–साथ इंजन में मौजूद लकड़ी के गुटके को इंजन के चक्के में लगाया जाएगा।

**(3) दुर्घटना, विफलता, अवरोध या अन्य दूसरे कारण से ब्लाक खण्ड में गाड़ी के रूक जाने पर लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट एवं गार्ड का कर्तव्यः–**

(क)सामान्य एवं सहायक नियम 6.03 के प्रावधान के अनुसार लोको पायलट/सहायक लोको पायलट एव्रं गार्ड गाड़ी का बचाव करेंगे।
(ख) गाड़ी को लोकोमोटिव ब्रेक (एसए–9, ए–9,एवं पार्किंग ब्रेक) एवं कम से कम आगे एवं पीछे के छः वैगनों का हैण्ड ब्रेक लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। हैण्ड ब्रेक को आगे से सहायक लोको पायलट एवं पीछे से गार्ड द्वारा लागाया जाएगा। अगर गाड़ी बिना गार्ड के चल रही हो तो गार्ड का ड्यूटी सहायक लोको पायलट द्वारा किया जाएगा । कोचिंग, ट्रेन में लोको पायलट द्वारा लोको ब्रेक लगाए जाने के अलावा एस एल आर का हैण्ड ब्रेक गार्ड द्वारा लगाया जाएगा।

(4) स्टेशन स्टाफ, गार्ड, क्रू एवं खण्ड नियंत्रक को स्टेशन/यार्ड/साइडिंग एवं ब्लाक खण्ड के ढलान से अवगत होना चाहिए एवं विशेष रूप से ढलान पर अवस्थित यार्ड/स्टेशन/ब्लाक खण्ड में शंटिंग के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्टेशन संचालन नियम में इस संबंध में वर्णित निर्देशों का अवश्य पालन करना चाहिए।

**(5) जोड़ने के दौरान अपनाए जाने वाले प्रावधान :**

(I) डीजल एव विद्युत लोकोमोटिव में लगे ई टाइप ट्रांजिशन कपलर एवं एच टाइप ट्रांजिशन कपलर;

(II) सी बी सी लगे रेक को जोड़ना:

(क) सी बी सी रेक के प्लेटफार्म पर वर्थिंग के बाद एवं समाडि द्वारा रेक रिलीज करने के पहले पॉच कोच के ब्रेक लगी हुई स्थिति में होना चाहिए।
(ख) एस एल आर के चक्के के नीचे दो स्कीड लगाना चाहिए
(ग) लोको को एस एल आर कोच के लाइन में लाकर 20 मीटर पहले रोकना चाहिए।
(घ) लोकोमोटिव से कपलिंग के दौरान, लोकोमोटिव के नकल को खुली अवस्था में रखना चाहिए तथापि जहॉ, परिस्थितिवश अधिक भीड़भाड़ हो तो दोनों नकल के कपलर खुली स्थिति में रह सकता है।
(ड़) कपलर के नकल को खोलने के लिए सुरक्षित करने वाले बोल्ट को खोलें एवं इसको उठाकर हैण्डिल को परिचालित करें।
(च) शंटिंग के मौजूदा प्रकिया को अपनाते हुए लोको को सतर्कतापूर्वक 2–3 कि0मी0/घंटा के गति से बढ़ायें।
(छ) जैसे ही कपलिंग हो जाता है, यह सुनिश्चित किया जाए कि एसएलआर/प्रथम कोच एवं लोकोमोटिव का टेल–टेल स्लॉट साफ है । सही से लॉक हो जाने को सुनिश्चित करें।
(ज) कपलिंग की प्रभावशीलता को लोको पायलट द्वारा गाड़ी/ट्रेन को धीरे–धीरे बढ़ाकर जॉच कर लेना चाहिए।

( III) स्कु कपलिंग वाले रेक को जोड़ना :–

(क) नकल को कुंडा के साथ लॉक करते समय एवं 50 मि0मी0 परिधि का कुंडा पिन घुसाते समय स्कू कपलिंग को क्षैतिज स्थिति में उठाना चाहिए।
(ख) लोकोमोटिव के नकल को लॉक करने के बाद टेल–टेल स्लाट साफ है यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
(ग) कपलिंग के बाद, लोकोमोटिव सी बी सी के 50 एमएम परिधि कुंडा पिन जो जी आई ताले से बांधा जाता है को कपलर और कुंडा के मिलते जुलते छेद में घुसा देना चाहिए।
(घ) स्प्रींग कटर को कुंडा का पिन के निचले वाले भाग में युक्त कर सही ढंग से कपल हो जाने को सुनिश्चित किया जाय।
(ड़) स्कू कपलिंग हुक जब उपयोग में नहीं हो तब लोमोटिव के कैटल गार्ड में दिए गए हुक में लगा देना चाहिए ताकि गाड़ी संचालन के दौरान आघात से बचा जा सके।

**<u>विशेष ध्यान दें</u>:-** कपलर के आंतरिक भाग जैसे नकल, लॉक, रोटरी लॉक, फिल्टर इत्यादि में तेल/ग्रीज नहीं लगाया जाय। कपलर के आंतरिक भाग पर तेल और ग्रीज रहने के कारण लॉक खिसक सकता है और अपने आप कपलिंग खुलने का कारण बन सकता है।

PCEE

(6) जब चलती हुई गाड़ी में किसी कम्पोनेन्ट के यांत्रिक विफलता , जानवर कटने, सड़क वाहन से धक्का लगने आदि के चलते प्रेशर में दिक्कत आने पर रेक को लुढ़कने से बचाने के लिए निम्न संरक्षा उपाय किए जाएँ:–

(क) अगर लोको में बी0पी0 प्रेशर बना हुआ है तो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट द्वारा इंजन से उतरने के पहले पूरे रेक में ब्रेक लगा दिया जाना चाहिए।

(ख) ब्रेक पाइप /फीड पाइप मे आघात के कारण क्षतिग्रस्त होकर हवा निकलने के कारण सभी डिब्बों में सिद्धान्ततः ब्रेक लग जाता है ।

(ग) ब्रेक पाइप /फीड पाइप मे प्रेशर नहीं बने रहने की स्थिति में चालक दल गार्ड को बतायेगा एवं एसएलआर का हैण्ड ब्रेक लगाने को कहेगा। इंजन से उतरने के पहले लोकोमोटिव ब्रेक भी लगाया जाएगा।

(घ) इंजन से उतरने के बाद इंजन कू लोको के चक्कों के नीचे लकड़ी का गुटका लगाएगा एवं गार्ड भी एसएलआर/एलडब्लुआरआरएम बोगी में ऐसा हीं करेगा।

(ड़) लोको पायलट/सहायक लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा प्रेशर गड़बड़ी का जॉच किया जाएगा एवं वे क्यु आर वी(क्वीक रिलिज वाल्व) से कोचों को रिलिज नहीं करेंगे।

(च) वे लोको/कोच के एअर लिकेज को नगन्य करेंगे एवं इसे बंद करने का प्रयास करेंगे।

(छ) जब बीपी/एफपी प्रेशर पूर्ण रूप से बन जाता है तो वे पूर्ण रेक में ब्रेक लगायेगे एवं लोको/एसएलआर/एलडब्लूएलआरआरएम का हैण्ड ब्रेक रिलिज करके कोचों के चक्कों से लकड़ी के गुटकों को हटायेंगे।

(ज) गाड़ी के चलाने के पहले लोको ब्रेक लगा हुआ स्थिति में रहेगा एवं कोचों का ब्रेक रिलिज रहेगा तथा प्रत्येक कोच को सहायक लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा चेक किया जाएगा।

(झ) बी0पी/एफपी में प्रेशर नहीं बनने की स्थिति में गाड़ी को सुरक्षित अवस्था में रखा जाएगा एवं रिलीफ लोको का मांग किया जाएगा। रिलीफ लोको जोड़ते समय लोड को सुरक्षित स्थिति में रखा जाएगा एवं जब बीपी/एफपी प्रेशर बन जाएगा तब क्रम संख्या छ एवं ज का अनुसरण करना चाहिए।

7 रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अन्य निर्देश जो पहले से जारी है का पालन करते हुए इसे नियमित /पुनश्चर्या कोर्स का हिस्सा बनाया जाए।

| (सलिल कुमार झा) | (रमेश चन्द्र) | (शिव कुमार प्रसाद) | (अशोक कुमार मिश्र) |
|---|---|---|---|
| प्रधान मुख्य परिचालन प्रबन्धक | प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर | प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी | प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर |

सं0–ईसीआर/ईएलई/ओपी/344

दिनांक 03.02.2022

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबन्धक महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबन्धक के निजी सचिव–1–अपर महाप्रबन्धक को सादर सूचनार्थ।
3. सभी विभागाध्यक्ष/पूर्व मध्य रेल– सादर सूचनार्थ।
4. सभी मंडल रेल प्रबन्धक, पूर्व मध्य रेल को सूचनार्थ।
5. मुयायाप्र,मुमाभप्र,मुख्य विलोई,मुचस्टाई/कोचिंग,मुचस्टाई/भाड़ा,मुख्य ट्रैक इं0एवं मुसिई /पूमरे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सभी वमंपरिप्र,वमंयांई(कै व वै)/पूमरे, दानापुर,धनबाद,डीडीयु, सोनपुर एवं समस्तीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सभी वमंसंक्षाधि एवं वमंविई(परि0) ,पूमरे, दानापुर,धनबाद,डीडीयु, सोनपुर एवं समस्तीपुर को कर्मचारियों को काउन्सलिंग, रनिंग रूम, लॉबी, कन्ट्रोल एवं दूसरे अन्य स्थान पर जहॉ आसानी से रनिंग कर्मचारी जेपीओ को पढ़ सकें उसकी व्यवस्था हेतु।